न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

रसद अपील सं. 32/2025

अपीलार्थी–

पूनमाराम पुत्र सिमरथाराम जाति जाट निवासी लोहारवा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

उत्तरदाता–

1. प्रवर्तन निरीक्षक धोरीमन्ना
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.05.2025 जो सरकार बनाम पूनमाराम के प्रकरण संख्या 06/2025 मे जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री जगदीश कुमार, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।
2. उत्तरदाता संख्या 02 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 17.12.2025

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 की धारा 22 के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रकरण सं. 06/2025 सरकार बनाम पुनमाराम मे पारित निर्णय दिनांक 12.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रवर्तन निरीक्षक धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 11.02.2025 को अपीलार्थी पुनमाराम की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर नोटिस बोर्ड का अंकन नही पाया गया। इसके साथ ही वक्त निरीक्षण पोश मशीन में दर्ज गेहूं की मात्रा 12848 किलोग्राम के विरूद्ध मौके प[illegible]50

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

किलोग्राम गेहूं ही पाया गया, जो कि नियत मात्रा से 2098 किलोग्राम कम है। इस प्रकार पोश मशीन में नियत मात्रा से 2098 किलोग्राम का गबन किया गया। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 11.02.2025 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2025 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर कर उत्तरदाता को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त कर प्रतिभूति राशि को जब्त करने मे विधि एवं तथ्यात्मक भूल की गई है, जिससे उक्त आदेश खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वक्त निरीक्षण मौके पर उचित मूल्य दुकान पर उतरदाता संख्या 01 व 2 द्वारा जिन शर्तो की उल्लंघन करना बताया गया है उन शर्तो की किसी प्रकार से अपीलार्थी द्वारा अवहेलना नहीं की गई है। उक्त [illegible] के उपरांत उचित मूल्य दुकान अपीलार्थी का स्टॉक व कार्यभार नये उचित मूल्य दुकानदार प्रमिल/दुर्गाराम को दिया, पोश मशीन भी सुपुर्द की गई जिसमें स्टॉक संबंधी कोई अनियमितता नही थी। अपीलार्थी द्वारा रसद विभाग द्वारा जारी नियमों व

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

शर्तो का अनुसरण करते हुए ही उचित मूल्य की दुकान का संचालन सन् 1996 से किया जा रहा है। जिसके आज्ञा पत्र जारी होने से लेकर आज तक कभी किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जिन गेंहू वितरण संबंधी गबन का तथ्य अंकित किया है वक्त निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन में गेंहू व अन्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर की जांच उतरदाता संख्या 01 द्वारा की हो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है और न ही उस दिनांक 11.02.2025 को निरीक्षण के संबंध मे स्टॉक रजिस्टर मे उतरदाता संख्या 01 के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में तथ्यों एवं विधि की भारी भूल की हैं। अतः अपीलार्थी की यह अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा विभागीय प्रकरण सं. 06/2025 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.05.2025 को अपास्त फरमाया जावें।

5. उत्तरदाता की ओर से प्रकट किया कि अपीलार्थी की अधिकृत उचित मूल्य दुकान पर वक्त निरीक्षण नोटिस एवं सूचना बोर्ड के अंकन नहीं होने, प्राधिकार पत्र व नक्शा उपलब्ध नहीं होने, उपभोक्ताओं को पोश मशीन की पर्ची उपलब्ध नहीं करवाने तथा वक्त जॉच मौके पर 20.98 क्वि0 गेहूं का भौतिक सत्यापन से कम पाया गया जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार करने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमे किसी प्रकार कोई विधि या तथ्य की भूल नही की गई है तथा इस आदेश के विरूद्ध यह प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता एवं जिला रसद अधिकारी, बाड़मेर के अभिकथनों मनन किया जिससे यह पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक धोरीमन्ना द्वारा दिनांक 11.02.2025 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलार्थी पुनमाराम की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान पर नोटिस बोर्ड का अंकन नहीं पाया गया। इसके साथ ही वक्त निरीक्षण पोश मशीन में दर्ज गेहूं की मात्रा 12848 किलोग्राम के विरूद्व मौके पर 10750 किलोग्राम गेहूं ही पाया गया, जो कि नियम मात्रा से 2098 किलोग्राम कम है। इस प्रकार पोश मशीन में नियत मात्रा से 2098 किलोग्राम का गबन किया गया। इस पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलार्थी का उचित मूल्य दुकानदार का अनुज्ञा पत्र आदेश दिनांक 11.02.2025 के द्वारा निलम्बित करते हुए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी को जवाब हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में प्रकरण मे सुनवाई करते हुए अधिनस्थ अधिकारी जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ रसद अधिकारी के समक्ष संस्थित विभागीय कार्यवाही एवं प्रवर्तन निरीक्षक की जांच के दौरान कोई तथ्य अथवा साक्ष्य प्रकट नहीं किये गये तथा न ही कारण बताओं नोटिस का संतोषप्रद जवाब प्रस्तुत किया गया हैं। इस अपील के द्वारा जो तथ्य प्रकट किये गये हैं वो अधीनस्थ कार्यालय की विभागीय जांच कार्यवाही में उपलब्ध साक्ष्य अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में बलहीन हैं इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा उपभोक्ताओं को पोश मशीन की पर्ची उपलब्ध नहीं करवाने तथा वक्त जॉच मौके पर 20.98 क्वि0 गेहूं का भौतिक सत्यापन से कम पाया जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के विभिन्न खण्डों एवं इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं. 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने से अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश पूर्णतया

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विधिसम्मत हैं जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2025 यथावत बहाल रखा जाता हैं तथा जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा किये गये गबन से राज्य सरकार को हुई राजस्व ही हानि के लिये वसूली हेतु शीघ्र सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर वसूली की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:57:00 IST
Reason: SelfAttested